Sector Undertaking and their state-wise break up is given in Statement-II.

Statement-II

Sl. No.	State	Number of Ordnance and Ordnance Equipment Factories in Defence Sector and armament Public Sector Undertaking	
1	Andhra Pradesh	1	(Public Sector Undertaking)
2	Madhya Pradesh	6	
3	Maharashtra	10	
4	Tamil Nadu	4	
5	Uttar Pradesh	10	
6	West Bengal	4	
7	Chandigarh (*Union Territory*)	1	
	TOTAL:	36	

पाकिस्तान की नौसेना द्वारा प्रेक्षापास्त्रों का प्राप्त किया जाना

1712. **डा० रत्नाकर पांडेय :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की नौसेना द्वारा हाल ही में सौ किलो-मीटर की दूरी तक मार करने वाले प्रक्षपास्त्र प्राप्त कर लिए जाने से भारत के तटीय और अपतटीय प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) सरकार को पाकिस्तान की हवाई एवं समुद्री प्रक्षपास्त्र क्षमताओं की जानकारी है । सरकार पड़ोसी देशों में होने वाली उन सभी गतिविधियों की लगातार समीक्षा करती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और प्रभावी रक्षा तयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर पर्याप्त उपाय करती है ।

Changes in the Mental Health Act 1987

1713. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring any changes in the Mental Health Act of 1987; and

(b) what are the powers of the Magistrate under Mental Health Act and how a coordination is being maintained between the doctor and the Magistrate to certify a person as mentally sick?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) No.

(b) Section 19 to Section 36 of the Mental Health Act, 1987 enumerate the powers/functions of the Magistrate and doctors with reference to treatment of mentally ill persons.